

चुनाव / अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) इन निर्देशों को
अधीनस्थ अधिकारियों को
भेजने से पूर्व स्वयं भी पढ़ें।

क्रमांक: एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2019/2785

दिनांक: 09/08/2019.

जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) (कलक्टर),
अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा,
अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारां, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर,
जालौर, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं टोंक।विषय:- 46 एवं 6 नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2019 हेतु निर्वाचक नामावलियों का
पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य की 46 एवं 6 नवगठित नगरपालिकाओं (परिशिष्ट-1) के आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में होने संभावित हैं। आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना है। नगरपालिकाओं के लिए वार्डवार निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार कर प्रकाशित करने का दायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों का है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित समस्त कार्य संपादित करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड/परिषद/निगम के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की सहायताार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ. 1(3)(1)/नपा/रानिआ/94/वो.1/3826 दिनांक 17.12.2018 के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। सुलभ संदर्भ के लिए उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पदों पर पदाभिहित अधिकारियों में किन्हीं कारणों से कोई परिवर्तन किया जाना हो तो इस हेतु प्रस्ताव शीघ्र ही आयोग को भिजवाने का श्रम करें।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2019 के संदर्भ में करवाया जाएगा। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु विधानसभा की निर्वाचक नामावली, 2019 के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कर, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाएगी।

A - प्रारूप मतदाता सूची तैयार एवं भौतिक सत्यापन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (शील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र-ए (परिशिष्ट-3) तैयार किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-ए की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में ली जा सकती हैं।

30/8

2. प्रपत्र-ए में अंकित कॉलम में सूचनाओं को भरने का विवरण :-

- प्रपत्र में ऊपर नगरपालिका एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 कम संख्या से संबंधित है।
- कॉलम नं. 2 में संबंधित नगरपालिका जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखा जायेगा।
- कॉलम नं. 3 में जिस नगरपालिका से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भाग का नंबर अंकित किया जाएगा।
- कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं 3 में अंकित विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका वार्ड से संबंधित भाग के मतदाताओं की कम संख्या (कहाँ से कहाँ तक) अंकित की जाएगी।
- कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता नगरपालिका के जिस वार्ड से संबंधित हैं उस वार्ड की संख्या लिखी जाएगी।
- कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी।

3. विधानसभा डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड/भागवार विभक्त करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 05.08.2019 से 08.08.2019 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रत्येक जिले से दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainers) को भी प्रशिक्षित किया गया है। यदि जिले में विभक्तिकरण की प्रक्रिया में कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निवारण के लिए मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) की सेवाएं ली जा सकती है।

4. आयोग के पत्रांक 2625/30.07.2019 के द्वारा दिनांक 09.08.2019 तक प्रगणकों की नियुक्ति संबंधी कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। यदि अभी तक प्रगणकों की नियुक्ति नहीं की गई है तो प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य तुरन्त पूर्ण कर लिया जाए। नियुक्त किए गए प्रगणकों को विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को विभक्त करने के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् की जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईआरओ कार्यालय के सूचना सहायक एवं नगरपालिका के संबंधित कार्मिकों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि परिसीमन से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो उसमें उनकी सहायता ली जा सके। प्रशिक्षण में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को प्रपत्र-ए में सूचना तैयार करने एवं सूचना सहायकों को ई-सूची (e-suchi) पर उक्त सूचना को अपलोड करने की प्रक्रिया से भली-भांति अवगत करा दिया जाए।

5. प्रगणकों को समुचित प्रशिक्षण के बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जारी परिसीमन कार्यक्रम के अनुसार पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं प्रस्तावों के अनुमोदन का कार्य किया जा चुका होगा। अतः प्रगणकों के प्रशिक्षण के तुरन्त पश्चात् दिनांक 12.08.2019 से प्रपत्र-ए तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग-अलग भागों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी एक भाग में दो वार्डों के मतदाता सम्मिलित नहीं हो।

6. नगर निकायों में वार्डों के भाग बनाए जाते समय यथा संभव विधानसभा के भागों के अनुरूप ही भाग बनाए जाए। सामान्यतः नगरपालिका का सम्पूर्ण वार्ड एक ही विधानसभा क्षेत्र में समाहित होगा। यदि किन्हीं मामलों में इसमें भिन्नता पाई जाती है तो नगरपालिका हेतु भाग बनाए जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक मौहल्ला/कॉलोनी/गली के मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाए, चाहे उस भाग के लिए मतदाताओं की संख्या 1400 से थोड़ा कम या ज्यादा हो रही हो।

7. प्रपत्र-ए में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की दिनांक 01.01.2019 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अद्यतन मतदाता सूची, वार्डों का नवीनतम सीमांकन (परिसीमन) के आदेश की प्रति, वार्ड का नक्शा तथा यदि वार्डों को भागों में विभक्त करने की आवश्यकता है तो प्रत्येक भाग का नजरी नक्शा तथा नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी। उक्त समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

20/8/19

8. परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं और उससे यह पता नहीं चले कि कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची को संदर्भ के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, चूंकि 2019 में राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से वार्डों का गठन/परिसीमन किया जा रहा है, इसलिए पूर्व के वार्ड अब उसी रूप में नहीं रहेंगे। अतः इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इनका उपयोग समझदारी से किया जाए।
9. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि नगरपालिका के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2019 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.02.2019 को किया गया है, को उपयोग में लेना है।
10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन-कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएंगे। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित करें।
11. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में जारी पत्र संख्या 1347 दिनांक 18.04.2019 के बिन्दु संख्या-14 में यह निर्देश प्रदान किये हैं कि प्रत्येक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाए, चूंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों के प्रत्येक भाग में भी भारत निर्वाचन आयोग ने यही मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए विधानसभा की मतदाता सूची के अधिकांश भाग नगरपालिका के वार्डों के भागों के समरूप ही होंगे। यदि विधानसभा की मतदाता सूची के किसी भाग में 1400 से अधिक मतदाता हैं तो नगरपालिका के लिए भी वार्ड की सीमा में रखते हुए उसका एक ही भाग बनाया जाएगा।
12. नगरनिगम/नगरपरिषद अथवा बड़ी नगरपालिकाओं में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जायेंगे, वहां विधानसभा की मतदाता सूची के वे भाग जो पूर्ण रूप से उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को यथावत नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। अधिकांश मामलों में यही संभावना रहेगी। सिर्फ विधानसभा के वे भाग जिनमें नगरपालिका के दो या अधिक वार्डों के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की कम संख्या को वार्ड की सीमा तक विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएंगे, अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम है तो नगरपालिका की मतदाता सूची के लिए नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।
13. इस प्रकार प्रगणकों द्वारा सूचनाएं संकलित कर तैयार किए गए प्रपत्र-ए के अनुसार सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची (URL <https://www.esuchi.rajasthan.gov.in>) पर Excel Sheet (.CSV format) में दिनांक 24.08.2019 तक अपलोड की जानी है। उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेंसी रील द्वारा प्रपत्र-ए की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।
14. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् नगरपालिकाओं की वार्डवार/भागवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावे कि मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डों का कोई स्थान सम्मिलित नहीं है एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है। यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो ई-सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसे अपडेट कर सकते हैं।

30/8/19

15. उक्तानुसार तैयार प्रारूप मतदाता सूची का प्रिंट लेकर दिनांक 25.08.2019 को आवश्यक हार्डकॉपियां (Hardcopies) तैयार कर लेवें। दिनांक 25.08.2019 से 04.09.2019 तक संबंधित प्रगणकों द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र-ए त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए ऐसे मतदाताओं से संबंधित वार्ड/भाग के लिए संशोधित प्रपत्र-ए तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें।
16. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।
17. उक्त कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing) की जाएगी।
18. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से आयोग को दिनांक 05.09.2019 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।
19. निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	तिथि/अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	07.09.2019 (शनिवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाड्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	07.09.2019 एवं 08.09.2019 को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16.09.2019 (सोमवार) तक
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	14.09.2019 एवं 15.09.2019 को
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	24.09.2019 (मंगलवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	07.10.2019 (सोमवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.10.2019 (शुक्रवार) को

20/9/19

C. – निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :-

1. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2019 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2019 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।
2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थान/स्थानों से उसका नाम हटा दिया जाए।
3. किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
4. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी एवं इसे सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। एक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक-1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 1400 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष मतदाता के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।
6. चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/1347 दिनांक 18.04.2019 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके। मतदान केन्द्रों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड-8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना के फोटो जिला स्तर पर संकलित कर आयोग को ई-मेल के माध्यम से प्रारूप प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर भिजवाएं जाएंगे। मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप-2 में विहित किया हुआ है। वार्डों की निर्वाचक नामावलिां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जावेगी।

20/5

8. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावे व आपत्तियाँ दि. 09.09.2019 से 18.09.2019 के मध्य प्ररूप 3, 5 एवं 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। प्रणाली को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
9. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर दिनांक 14.09.2019 एवं 15.09.2019 को नगरनिगम/परिषद/बोर्ड के वार्ड/मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा या आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा दिनांक 18.09.2019 तक आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्ररूप 3, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में नगरपालिकाओं के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे।
10. उपरोक्त आदेश के खण्ड-9 के अनुसार दावें व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्ररूप-3, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्ररूप 3, 5 और 6 का वितरण आयोग के परिपत्र सं. प.4(1)(6)नपा/रानिआ/ 94/300 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निःशुल्क किया जाए। दावें व आपत्तियाँ डाक द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा में नाम जोड़ने के लिए अधिक मात्रा (Bulk) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे प्राप्त दावों व आपत्तियों की विस्तृत एवं गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जाए।
11. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियाँ दिनांक 14.09.2019 एवं 15.09.2019 निर्धारित की गई है। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।
12. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दावे व आपत्तियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी दि. 09.09.2019 से 18.09.2019 के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 (परिशिष्ट क्रमशः 6, 7 एवं 8) में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड-12 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
13. दावें व आपत्तियाँ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।
14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड-12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार कर ई-सूची (e-suchi) पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पूरक सूची का लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियाँ कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 में विहित प्ररूप-7 में किया जावेगा।

20/9/

15. निर्वाचक नामावली में अंकित मृत एवं दोहरे मतदाताओं को चिह्नित कर उनका नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही उक्त खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने संबंधी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत की जाए। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लें।
16. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड-19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
17. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकड़े प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। इन आंकड़ों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली में पत्रित किया जावेगा तथा परिशिष्ट-9 पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावों/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष एवं अन्य मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।
18. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर परिशिष्ट-10 में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को ई-सूची पर अपलोड कर ऑन लाईन भेजी जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि व कमी हुई है। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में **पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से नहीं रह जाए व अपात्र का नाम सम्मिलित नहीं हो।**
19. आयोग के परिपत्र सं० 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों का एक-एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।
20. पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा पम्फलेट वितरित करवाकर विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़े ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।
21. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री कय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र. सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1.	श्री अशोक कुमार जैन, उप सचिव, SEC	9414046720, 9829413131	निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी प्रक्रिया के लिए
2.	श्री मुकेश कुमार बैरवा, अति. प्रशा. अधि, SEC	9828788377, 7976821957	
3.	श्री संजय खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक, SEC	9636121562, 8005926047	
4.	श्रीमती अनिता भोला, प्रोग्रामर, SEC	7976326853, 9460727078	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी प्रक्रिया के लिए
5.	श्री एल. एल. सुथार, प्रतिनिधि SLA	7727011733	
6.	श्री ललित बंसल, प्रतिनिधि SLA	9784016187	
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रतिनिधि SLA	7339839007	
8.	श्री हिमांशु चौधरी, SLA	7014758543	

निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां – एक नजर में

क्र. सं.	कार्य/गतिविधि का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण हेतु अर्हता तिथि	01.01.2019
2.	विधानसभा की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की तिथि जिसका डेटाबेस उपयोग किया जाना है	22.02.2019
3.	प्रणकों के प्रशिक्षण की अंतिम तिथि	12.08.2019 से पूर्व
4.	प्रपत्र-ए की सूचना e-suchi पर अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि	24.08.2019
5.	प्रारूप मतदाता सूची का प्रिंट लेकर प्रतियां तैयार करने की तिथि	25.08.2019
6.	प्रणकों एवं ईआरओ/एईआरओ द्वारा मतदाताओं के भौतिक सत्यापन हेतु अवधि	25.08.2019 से 04.09.2019 तक
7.	प्रारूप मतदाता सूची के सही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रेषित करने की तिथि	05.09.2019 तक
8.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन की तिथि	07.09.2019
9.	निर्वाचक नामावलियों का वाडों/मतदान केन्द्रों पर पठन हेतु तिथि	07.09.2019 एवं 08.09.2019
10.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अवधि	07.09.2019 से 16.09.2019 तक
11.	विशेष अभियान की तिथियाँ	14.09.2019 एवं 15.09.2019
12.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि	24.09.2019 तक
13.	पूरक सूचियों की तैयारी	07.10.2019 तक
14.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन की तिथि	11.10.2019

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। यदि निर्वाचक नामावली में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

आज्ञा से,

(सुचि त्रिपाठी)
सचिव

दिनांक: 9.8.19

क्रमांक: एफ 3(1)(1)नपा/रानिआ/2019/2786

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका।
9. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,।
10. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।

(अशोक कुमार जी)
उप सचिव

**46 एवं 6 नवसृजित नगर निकायों की सूची जहां नवम्बर, 2019 में
आम चुनाव होने हैं**

क्र.सं.	नाम जिला		नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम
1.	अजमेर	1.	ब्यावर नगरपरिषद
		2.	पुष्कर
		3.	नसीराबाद (नवगठित)
2.	अलवर	4.	अलवर नगरपरिषद
		5.	मिवाड़ी नगरपरिषद
		6.	थानागाजी (नवगठित)
3.	बांसवाड़ा	7.	बांसवाड़ा नगरपरिषद
		8.	परतापुर-गढ़ी (नवगठित)
4.	बाड़मेर	9.	बाड़मेर नगरपरिषद
		10.	बालोतरा नगरपरिषद
5.	बीकानेर	11.	बीकानेर नगरनिगम
6.	बारां	12.	छबड़ा
		13.	मांगरोल
7.	भरतपुर	14.	भरतपुर नगरनिगम
		15.	रूपवास (नवगठित)
8.	चित्तौड़गढ़	16.	चित्तौड़गढ़ नगरपरिषद
		17.	निम्बाहेड़ा
		18.	रावतभाटा
9.	चूरु	19.	चूरु नगरपरिषद
		20.	राजगढ़
10.	दौसा	21.	महवा (नवगठित)
11.	हनुमानगढ़	22.	हनुमानगढ़ नगरपरिषद
12.	जैसलमेर	23.	जैसलमेर नगरपरिषद
13.	जालौर	24.	जालौर नगरपरिषद
		25.	भीनमाल
14.	जयपुर	26.	जयपुर नगर निगम
15.	झुंझुनूं	27.	झुंझुनूं नगरपरिषद
		28.	पिलानी
		29.	बिसाऊ
16.	जोधपुर	30.	जोधपुर नगरनिगम
		31.	फलौदी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/ 3826

दिनांक: 17/12/18

औदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या-18) की धारा 13 के अनुसरण में जारी अपने पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निम्नांकित सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के समस्त जिलों की नगरपालिका क्षेत्र के लिये उक्त धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपधारा 3 के अन्तर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नामनिर्दिष्ट (Designate and Nominate) करता है:-

क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	नगर निगम अजमेर	1. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर 2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर 3. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	1. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर 2. तहसीलदार, अजमेर
		नगर परिषद ब्यावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
		नगर परिषद किशनगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़
		नगरपालिका पुष्कर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	तहसीलदार, पुष्कर
		नगरपालिका केकड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	तहसीलदार, केकड़ी
		नगरपालिका सरवाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड	तहसीलदार, सरवाड
		नगरपालिका विजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, विजयनगर
		नगरपालिका नसीराबाद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	तहसीलदार, नसीराबाद
2.	अलवर	नगर परिषद अलवर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर	तहसीलदार, अलवर
		नगरपरिषद भिवाड़ी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण	उप पंजीयक, भिवाड़ी
		नगरपालिका बहरोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बहरोड	तहसीलदार, बहरोड
		नगरपालिका तिजारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		नगरपालिका खैरथल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटकासिम	तहसीलदार, कोटकासिम
		नगरपालिका राजगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		नगरपालिका खेडली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कटूमर	तहसीलदार, कटूमर
		नगरपालिका किशनगढ़बास	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़बास	तहसीलदार, किशनगढ़बास

3.	बांसवाड़ा	नगरपरिषद् बांसवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
		नगरपालिका कुशलगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
		नगरपालिका परतापुर-गढ़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढ़ी	तहसीलदार, गढ़ी
4.	बारा	नगरपरिषद् बारा	अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारा
		नगरपालिका अन्ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अन्ता	तहसीलदार, अन्ता
		नगरपालिका छबड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
		नगरपालिका मांगरोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मांगरोल	तहसीलदार, मांगरोल
5.	बाडमेर	नगरपरिषद् बाडमेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाडमेर	तहसीलदार, बाडमेर
		नगरपरिषद् बालोतरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पंचपदरा
6.	भरतपुर	नगरनिगम भरतपुर	अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर	1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर 2. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर 3. राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर 4. सहायक कलक्टर, भरतपुर 5. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर
		नगरपालिका कामा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कामा	तहसीलदार, कामा
		नगरपालिका नगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर
		नगरपालिका डीग	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग
		नगरपालिका कुम्हेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, कुम्हेर
		नगरपालिका नदबई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		नगरपालिका वैर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		नगरपालिका भुसावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर
		नगरपालिका बयाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
		नगरपरिषद् भीलवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	तहसीलदार, भीलवाड़ा
7.	भीलवाड़ा	नगरपालिका आसीन्द	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
		नगरपालिका गंगापुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर	तहसीलदार, सहाड़ा मु. गंगापुर
		नगरपालिका शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा

		नगरपालिका गुलाबपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरडा
		नगरपालिका जहाजपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		नगरपालिका माण्डलगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ	तहसीलदार, माण्डलगढ
8.	बीकानेर	नगरनिगम बीकानेर	1. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर 2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, बीकानेर तहसीलदार (भु.अ.), बीकानेर
		नगरपालिका नोखा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		नगरपालिका देशनोक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, बीकानेर
		नगरपालिका ढूंगरगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ढूंगरगढ	तहसीलदार, ढूंगरगढ
9.	बून्दी	नगरपरिषद् बून्दी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नगरपालिका नैनवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नैनवा	तहसीलदार, नैनवा
		नगरपालिका केशोरायपाटन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
		नगरपालिका कापरन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
		नगरपालिका लाखेरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाखेरी	तहसीलदार, इन्द्रगढ
		नगरपालिका इन्द्रगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाखेरी	तहसीलदार, इन्द्रगढ
10.	चित्तौड़गढ	नगरपरिषद् चित्तौड़गढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ	तहसीलदार, चित्तौड़गढ
		नगरपालिका रावतभाटा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		नगरपालिका कपासन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		नगरपालिका बेगू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगू	तहसीलदार, बेगू
		नगरपालिका बडीसादडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बडीसादडी	तहसीलदार, बडीसादडी
		नगरपालिका निम्बाहेडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेडा	तहसीलदार, निम्बाहेडा
11.	चुरू	नगरपरिषद् चुरू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चुरू	तहसीलदार, चुरू
		नगरपरिषद् सुजानगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ	तहसीलदार, सुजानगढ
		नगरपालिका राजगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ (चुरू)	तहसीलदार, राजगढ (चुरू)
		नगरपालिका तारानगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर

		नगरपालिका सरदारशहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		नगरपालिका रतननगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चुरु	तहसीलदार, चुरु
		नगरपालिका रतनगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ	तहसीलदार, रतनगढ
		नगरपालिका राजलदेसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ	तहसीलदार, रतनगढ
		नगरपालिका छापरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ	तहसीलदार, सुजानगढ
		नगरपालिका बीदासर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
12.	दौसा	नगरपरिषद् दौसा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा	तहसीलदार, दौसा
		नगरपालिका लालसोट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
		नगरपालिका बांदीकुई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा
		नगरपालिका महवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, महवा	तहसीलदार, महवा
13.	धौलपुर	नगरपरिषद् धौलपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	तहसीलदार, धौलपुर
		नगरपालिका बाडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाडी	तहसीलदार, बाडी
		नगरपालिका राजाखेडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेडा	तहसीलदार, राजाखेडा
14.	डूंगरपुर	नगरपरिषद् डूंगरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
		नगरपालिका सागवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	तहसीलदार, सागवाडा
15.	हनुमानगढ	नगरपरिषद् हनुमानगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ	तहसीलदार, हनुमानगढ उपपंजीयक, हनुमानगढ नायब तहसीलदार, हनुमानगढ
		नगरपालिका पीलीबंगा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा नायब तहसीलदार, पीलीबंगा
		नगरपालिका संगरिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया नायब तहसीलदार, संगरिया
		नगरपालिका रावतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर नायब तहसीलदार, रावतसर
		नगरपालिका नोहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर	तहसीलदार, नोहर नायब तहसीलदार, नोहर
		नगरपालिका भादरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	तहसीलदार, भादरा नायब तहसीलदार, भादरा
16.	जयपुर	नगर निगम जयपुर वार्ड संख्या 1 से 14	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय जयपुर	उप पंजीयक (तृतीय), जयपुर

		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 15 से 21	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर	उप पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 22 से 31	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-द्वितीय	उप पंजीयक (द्वितीय), जयपुर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 32 से 44	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम), सांगानेर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 45 से 51	जिला रसद अधिकारी - द्वितीय, जयपुर	तहसीलदार, सांगानेर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 52 से 60	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त- द्वितीय	उप पंजीयक (पंचम), जयपुर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 61 से 70	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त- तृतीय	तहसीलदार, जयपुर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 71 से 79	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक (नवम), जयपुर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 80 से 90	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर प्रथम	तहसीलदार (कृषि भूमि रूपान्तरण) जयपुर
		नगर निगम जयपुर वार्ड सं. 91	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
		नगरपालिका कोटपूतली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		नगरपालिका विराटनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
		नगरपालिका शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		नगरपालिका चौमू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू	तहसीलदार, चौमू
		नगरपालिका सांभर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा, मु0 सांभर
		नगरपालिका फुलेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा मुख्यालय सांभर
		नगरपालिका जोबनेर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर	उप पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर
		नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, किशनगढ़ रेनवाल
		नगरपालिका बगरु	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, द्वितीय, सांगानेर	तहसीलदार, सांगानेर
		नगरपालिका चाकसू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
17.	जैसलमेर	नगरपरिषद जैसलमेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर
		नगरपालिका पोकरण	उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
18.	जालोर	नगरपरिषद जालोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जालोर	तहसीलदार, जालोर
		नगरपालिका भीनमाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
		नगरपालिका सांचोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
19.	झालावाड़	नगरपरिषद झालावाड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन

		नगरपालिका झालरापाटन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, असनावर	तहसीलदार, असनावर
		नगरपालिका पिडावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पिडावा	तहसीलदार, पिडावा
		नगरपालिका अकलेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, अकलेरा
		नगरपालिका भवानीमंडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमंडी	तहसीलदार, पचपहाड
20.	झुन्झुनू	नगरपरिषद् झुन्झुनू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		नगरपालिका बगड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		नगरपालिका मण्डावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
		नगरपालिका बिसाऊ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
		नगरपालिका चिडावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिडावा	तहसीलदार, चिडावा
		नगरपालिका पिलानी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		नगरपालिका विद्याविहार पिलानी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		नगरपालिका सूरजगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		नगरपालिका खेतडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेतडी	तहसीलदार, खेतडी
		नगरपालिका उदयपुरवाटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी
		नगरपालिका नवलगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ	नायब तहसीलदार, नवलगढ
		नगरपालिका मुकुन्दगढ	तहसीलदार, नवलगढ	नायब तहसीलदार, मुकुन्दगढ
21.	जोधपुर	नगरनिगम, जोधपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	1. तहसीलदार, जोधपुर 2. तहसीलदार (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण 3. तहसीलदार (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण
		अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट शहर प्रथम, जोधपुर		1. उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर 2. तहसीलदार (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण 3. तहसीलदार भू-अभिलेख, जोधपुर
		अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय, जोधपुर		1. उप पंजीयक प्रथम, जोधपुर 2. उप पंजीयक द्वितीय, जोधपुर 3. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, जोधपुर
		नगरपालिका फलौदी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
		नगरपालिका विलाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विलाडा	तहसीलदार, विलाडा

		नगरपालिका पीपाड शहर	उपखंड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाड शहर	तहसीलदार, पीपाड शहर
22.	करौली	नगरपरिषद् करौली	उपखंड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करौली	तहसीलदार, करौली
		नगरपरिषद् हिण्डौन	उपखंड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
		नगरपालिका टोडाभीम	उपखंड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
23.	कोटा	नगरनिगम कोटा	अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), कोटा	1. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा 2. तहसीलदार (मू-अभिलेख), कोटा
		सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	1. उप पंजीयक प्रथम, कोटा 2. नायब तहसीलदार, लाडपुरा
		नगरपालिका कैथून	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	1. तहसीलदार, लाडपुरा 2. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाळा, कोटा
		नगरपालिका सांगोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		नगरपालिका रामगंजमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		नगरपालिका इटावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपलदा
24.	नागौर	नगरपरिषद् नागौर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर	तहसीलदार, नागौर
		नगरपालिका लाडनू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनू	तहसीलदार, लाडनू
		नगरपालिका डीडवाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना	तहसीलदार, डीडवाना
		नगरपालिका नावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नावा	तहसीलदार, नावा
		नगरपालिका कुचामन सिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	तहसीलदार, कुचामन सिटी
		नगरपरिषद् मकराना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना	तहसीलदार, मकराना
		नगरपालिका परबतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
		नगरपालिका मेड़ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
		नगरपालिका डेगाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
		नगरपालिका कुचेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खीवसर	तहसीलदार, खीवसर
		नगरपालिका मूण्डवा	सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर	तहसीलदार, मूण्डवा
25.	पाली	नगरपरिषद् पाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली नायब तहसीलदार, पाली

		नगरपालिका जैतारण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण नायब तहसीलदार, जैतारण
		नगरपालिका सोजत सिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत नायब तहसीलदार, सोजत
		नगरपालिका सादडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी	तहसीलदार, देसूरी नायब तहसीलदार, देसूरी
		नगरपालिका बाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली नायब तहसीलदार, बाली
		नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन नगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली नायब तहसीलदार, बाली
		नगरपालिका रानी खुर्द	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी नायब तहसीलदार, रानी
		नगरपालिका सुमेरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर नायब तहसीलदार, सुमेरपुर
		नगरपालिका तखतगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर नायब तहसीलदार, सुमेरपुर
26.	प्रतापगढ	नगरपरिषद् प्रतापगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ	तहसीलदार, प्रतापगढ
		नगरपालिका छोटीसादडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सादडी	तहसीलदार, छोटी सादडी
27.	राजसमन्द	नगरपरिषद् राजसमन्द	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
		नगरपालिका नाथद्वारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा
		नगरपालिका आमेत	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेत	तहसीलदार, आमेत
		नगरपालिका देवगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवगढ	तहसीलदार, देवगढ
28.	सवाई माधोपुर	नगरपरिषद् सवाई माधोपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		नगरपरिषद् गंगापुरसिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुरसिटी	तहसीलदार, गंगापुरसिटी
29.	सीकर	नगरपरिषद् सीकर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर	तहसीलदार, सीकर
		नगरपालिका रामगढ शेखावाटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ शेखावाटी	तहसीलदार, रामगढ शेखावाटी
		नगरपालिका फतेहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
		नगरपालिका लक्ष्मणगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ
		नगरपालिका लोसल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद	तहसीलदार, धोद
		नगरपालिका रीगस	सहायक कलक्टर, मुख्यालय, सीकर	नायब तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
		नगरपालिका खण्डेला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		नगरपालिका नीमकाथाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना

		नगरपालिका श्रीमाधोपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
		नगरपालिका खादूरयामजी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ	तहसीलदार, दांतारामगढ
30.	सिरोही	नगरपरिषद् सिरोही	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही	1. तहसीलदार, सिरोही 2. नायब तहसीलदार, सिरोही
		नगरपालिका शिवगंज	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिवगंज	1. तहसीलदार, शिवगंज 2. नायब तहसीलदार, शिवगंज
		नगरपालिका पिण्डवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा	1. तहसीलदार, पिण्डवाडा 2. नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा
		नगरपालिका आबू पर्वत	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आबू पर्वत	1. तहसीलदार, आबूरोड 2. उप पंजीयक, आबूरोड
		नगरपालिका आबू रोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेवदर	1. तहसीलदार, आबूरोड 2. उप पंजीयक, आबूरोड
31.	श्रीगंगानगर	नगरपरिषद् गंगानगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर	तहसीलदार, गंगानगर उप पंजीयक, गंगानगर
		नगरपालिका सार्दुलशहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सार्दुलशहर	तहसीलदार, सार्दुलशहर
		नगरपालिका करणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		नगरपालिका केसरीसिंहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		नगरपालिका पदमपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		नगरपालिका गजसिंहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		नगरपालिका रायसिंहनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		नगरपालिका विजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विजयनगर	तहसीलदार, विजयनगर
		नगरपालिका अनूपगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ	तहसीलदार, अनूपगढ उप पंजीयक, अनूपगढ
		नगरपालिका सूरतगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ	तहसीलदार, सूरतगढ उप पंजीयक, सूरतगढ
32.	टोंक	नगरपरिषद् टोंक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक	तहसीलदार, टोंक
		नगरपालिका निवाई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निवाई	तहसीलदार, निवाई
		नगरपालिका मालपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
		नगरपालिका टोडारायसिंह	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	तहसीलदार, टोडारायसिंह
		नगरपालिका देवली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली	तहसीलदार, देवली
		नगरपालिका उनियारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा मुख्यालय अलीगढ

33.	उदयपुर	नगरनिगम उदयपुर	1. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उदयपुर 2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	तहसीलदार, गिर्वा
		नगरपालिका सलूमबर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सलूमबर	तहसीलदार, सलूमबर
		नगरपालिका भीण्डर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		नगरपालिका कानोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		नगरपालिका फतेहनगर-सनवाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मावली	तहसीलदार, मावली

आज्ञा सी,

—
(चन्द्रशेखर मूथा) 17-12-18

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(3)(1)न.पा./रनिआ/94/1/ 3827-35

दिनांक: 17/12/18

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगररीय एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), राजस्थान।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
8. समस्त अधिकारीगण/शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

20/12/18
(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN							
Draft Electoral Roll Control Chart							
Name of District :							
Name of Council / Corporation :							
Please use this template to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1							FORMAT - A
							version 1.1
1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From Sr.No.	To Sr.No.	Ward No.	Ward Part No.	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							

**नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश**

क्र.स.	स्टेप	विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov.in डाउन करें। लॉग इन password डालकर लॉग इन करें।
2	स्टेप-2	ULB का चयन करना Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और काउन्सिल/कारपोरेशन का चयन कर DONE बटन पर क्लिक करें।
3	स्टेप-3	काउन्सिल/कारपोरेशन का नाम निर्धारित करना Set name for election फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कारपोरेशन का नाम हिंदी में दर्ज करें।
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना Polling station detail फॉर्म को ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की डाटा एंट्री/मत्यापन कर लेंगे।
5	स्टेप-5	काउन्सिल/कारपोरेशन के वार्ड निर्धारित करना Ward-Create/Edit More.. फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कारपोरेशन के ward की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/मत्यापन कर लेंगे। कृपया वार्ड के परिमीमन अनुसार विवरण का इंद्राज होना सुनिश्चित करें यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंट होगा।
6	स्टेप-6	काउन्सिल/कारपोरेशन के वार्ड पार्ट निर्धारित करना Ward-Part Create/Edit More.. फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कारपोरेशन के ward part की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/मत्यापन कर लेंगे। Note : सभी पार्ट की ईंटेल - मतदान केंद्र, तहसील, town, वार्ड पार्ट के परिमीमन अनुसार विवरण इत्यादी की एंट्री होना सुनिश्चित करें।
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल तैयार करना		
7	स्टेप-7	Format-A तैयार कर अपलोड करना Draft Voter List->Upload A document फॉर्म को ओपन कर , वार्ड संख्या को चुनकर Format-A की Excel की Comma Delimited (.CSV format) अपलोड करें। Format-A की EXCEL file Download Section से डाउनलोड की जा सकती है।
8	स्टेप-8	Draft Voter List मत्यापन करना Draft Voter List->View Draft Voter List & Remaining voter Summary के माध्यम से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मत्यापन के लिए देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जेकलिस्ट PDF फाइल डाउनलोड मत्यापन के लिए की जा सकती है। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट होगा।
9	स्टेप-9	काउन्सिल/कारपोरेशन को फ्रीज करना Draft Voter List->Freeze draft ward summary फॉर्म को ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करें।
10	स्टेप-10	काउन्सिल/कारपोरेशन का कम्प्लीशन मॉडिफिकेशन कन्फर्मेशन Draft Voter List->Draft Roll completion certificate फॉर्म ओपन कर वार्ड नंबर का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वैरीफाई करें।
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना डाउनलोड सेक्शन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल(With photo,Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नहीं होगा।
12	स्टेप-12	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल वेब साइट पर अपलोड करना। डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन में जाकर पीडीएफ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएफ फाइल का नाम बरी है जो की डाउनलोड के समय था, नाम ने बदलाव करने पर पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होगी।

**नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश**

13	स्टेप-13	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म ओपन कर किया जा सकता है।
Supplement/Final मतदाता सूची की पीडीऍफ़ फाइल तैयार करना			
14	स्टेप-14	Format-B तैयार कर अपलोड करना	अगर मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है या वार्ड के एक वार्ड पार्ट से दूसरे वार्ड पार्ट में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B की Excel की Comma Delimited (.CSV Format) तैयार कर अपलोड करें। अपलोड के पश्चात FORMAT-B को Process कर लेवे। Format-B की EXCEL फाइल Download Section में डाउनलोड की जा सकती है। NOTE : FORMAT-B में मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम संख्या होगी। ECI वोटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B में उपयोग नहीं करे।
15	स्टेप-15	नए मतदाता को जोड़ना/संशोधन करना	अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो claim objection->Add new voter का फॉर्म ओपन कर जोड़ लेवे। अगर नए मतदाता में संशोधन की जरूरत है तो claim Objection->search/modify new voter का फॉर्म ओपन कर संशोधन कर लेवे।
16	स्टेप-16	फाइनल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट करना	अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट की जरूरत है तो claim objection->update delete voter का फॉर्म ओपन कर संशोधन/डिलीट कर लेवे।
17	स्टेप-17	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन	eSuchi PDF factory में ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद मश्रम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत Claim-Objection -> online Forms में जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करें। Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता मण्डल/फाइनल मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे।
18	स्टेप-18	वार्ड संख्या को फ्रीज करना	Final Voter List->Freeze Final Roll ward summary फॉर्म ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze Final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करें।
19	स्टेप-19	वार्ड संख्या का कंप्लीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Final Voter List->Final Roll completion certificate फॉर्म ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल वेरीफाई करें।
20	स्टेप-20	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड मेकशन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। लॉग इन कर फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल(with Photo,Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नहीं होगा।
21	स्टेप-21	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड मेकशन में जाकर पीडीऍफ़ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीऍफ़ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीऍफ़ फाइल अपलोड नहीं होगी।
22	स्टेप-22	मतदाता का section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म ओपन कर किया जा सकता है।

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम

प्रमाण — पत्र

मैं , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद / नगर निगम प्रमाणित करता हूँ कि नगर निकाय के वार्ड संख्या 1 से तक तैयार कराई गई सभी वार्डों की प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिशत भौतिक सत्यापन के कार्य की नमूना जाँच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न.पा. / न.प. / न.नि.

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला

प्ररूप 8

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 3 में प्राप्त आवेदनों की सूची					
	नगरपालिका का नाम :-					
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख से तारीख तक					
4. सुनवाई का स्थान* :						
आवेदन की क्रम संख्या ⁵	प्राप्ति की तारीख	दावेदार का नाम	पिता/माता/पति का नाम और (संबंध) [#]	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
1	2	3	4	5	6	7

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

⁵ प्रत्येक स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

[#] संबंध पि-पिता, मा-माता, और प-पति के रूप में कोष्ठकों में अर्थात् (पि), (मा), (प) दें।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

प्ररूप 9

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नामों को सम्मिलित करने के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए प्ररूप 5 में प्राप्त आवेदनों की सूची							
	नगरपालिका का नाम :-							
1. वार्ड संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित)							
2. भाग संख्या	तारीख से तारीख तक							
4. सुनवाई का स्थान* :								
आवेदन की क्रम संख्या ⁵	प्राप्ति की तारीख	आक्षेपकर्ता का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित व्यक्ति का ब्योरा			आक्षेप के लिए संक्षेप में कारण	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक	पूरा नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

⁵ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

प्ररूप 10

अभिहित स्थान की पहचान (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)		निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टियों पर आक्षेप के लिए प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची					
		नगरपालिका का नाम :-					
1. वार्ड संख्या		3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित)					
2. भाग संख्या		तारीख से तारीख तक					
4. सुनवाई का स्थान* :							
आवेदन की क्रम संख्या ⁵	प्राप्ति की तारीख	आक्षेप करने वाले निर्वाचन का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियां		आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

⁵ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए कमशः क्रम संख्या देनी होगी।

नगरपालिका आम चुनाव 2019

मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों का विवरण

जिले का नाम:

नगरपालिका का नाम:

वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची (2019) के अनुसार न.पा. वार्ड से संबंधित मतदाताओं की संख्या (नगरपालिका मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या)				दावे/आपत्तियों का विवरण										ERO द्वारा स्वविवेक से		अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
					प्राप्त			निस्तारण							जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	कुल	पुरुष	स्त्री	अन्य
					दावे	नाम हटाने हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	प्रविष्टि में शुद्धि हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	दावे		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		शुद्धि संबंधी आपत्ति								
	स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार				स्वीकार	अस्वीकार											
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				-											-					

नगरपालिका आम चुनाव 2019

मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन का विवरण

जिले का नाम :

नगरपालिका का नाम :

ERO का नाम व पदनाम	वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची (2019) के अनुसार न.पा. वार्ड से संबंधित मतदाताओं की संख्या (नगरपालिका मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या)				प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या				अंतिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
		कुल	पुरुष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरुष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरुष	स्त्री	अन्य